प्रार्थी ना ... आदेश हेतु ... दिनांक ...3.21
वास्ते पत्रावली
को पेश हो।

... अधिकारी ...
... पक्षकार ...
उभय पक्ष ... ... को पेश हो।
11.3.21 (अवधि से ... 12.3.21
पत्रावली ...
उपखण्ड अधिकारी मांडल

12.3.21 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित ... रखने
से पत्रावली दिनांक 16.3.21 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं.
16.3.21 1,2,3 उपस्थित। उभयपक्षो ने मुज. बहस करनी
चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी
ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी नं.
428 भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी सं.
1 व 2 की आराजी नं. 429 की पूर्वी दिशा के सहारे
सहारे 30 फीट चौड़ाई का रास्ता एंव आराजी नं.
423 बिलानाम आराजी के पश्चिमी दिशा के सहारे-2
रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। एंव
विपक्षी सं. 1 व 2 ने भी अपने जवाब के आधार
पर प्रार्थी को रास्ता देने मे कोई आपत्ति
जाहिर नही की। उन्होने भी प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील
प्रार्थी एंव विपक्षी सं. 1 व 2 की बहस पर मनन
किया तथा तहसीलदार [illegible] मौका रिपोर्ट
व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के जवाब [illegible] अध्ययन व
मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:36:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है। अत:

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा.का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम बैरा परवार हल्का गेगास तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं० 428 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एवं मोके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1व2 की आराजी नं० 429 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि मे से पूर्वी दिशा के सहारे-सहारे 16 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है, 16 फीट चौड़ाई के रास्ते के काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थीगण 1,2 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार माण्डल को [illegible] की पालना मिजवाते हुए लिखा जावे। नि[illegible] अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार [illegible] द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:56:12 IST
Reason: SelfAttested